न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 38 / 2020

आदर्श को–ओपरेटीव बैंक लिमिटेड
शाखाः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0,
गोपाल बिल्डिंग के पास, अजमेर रोड, मदनगंज,
किशनगढ–305801 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स श्री श्याम मार्बल ट्रेडर्स प्रो0 श्री भीयाराम चौधरी पुत्र श्री भंवर राम चौधरी
पताः– महेन्द्र होटल के पीछे, टुकडा रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, मदनगंज, किशनगढ
जिला अजमेर (राजस्थान)
दुसरा पताः– मोहन नगर, रामनेर रोड, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान
(2) श्री महेश शर्मा पुत्र श्री हरी शंकर शर्मा
पताः– मालियों की ढानी, ब्रिज विहार कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ,
जिला अजमेर राजस्थान
(3) श्री गोविन्द राम तांडी पुत्र श्री आदु राम
पताः– मनमोहन नगर, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक

प्राधिकृत अधिकारी

आदेश

दिनांक 15.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 को दिनांक 06.11.2015 को रू. 13,00,000 / – (अक्षरे तेरह लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर मोहन नगर, रामनेर रोड, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर, (राजस्थान) के खसरा नं0 90, पर स्थित प्लॉट सं0 34, क्षैत्रफल 200 वर्ग यार्ड, जिसका पट्टा दिनांक 20.12.2012 नगर पिरषद, किशनगढ, अजमेर द्वारा जारी पट्टा जिसका पंजीयन उप पंजीयक किशनगढ द्वारा दिनांक 20.12.2012 को को बुक सं0 01, वॉल्यूम सं0 626, पृष्ठ सं0 46, क0 सं. 2012008498 से पंजीयन किया गया था, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः–उत्तर मेंः–श्री धन्ना राम जी का प्लॉट, दक्षिणः–रास्ता 20 फीट का, पूर्व मेंः–प्लॉट नं0 35, पश्चिम मेंः–श्री सुरेश जांगिड जी का प्लॉट नं0 33, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2017 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

ऋणी को दिनांक 11.09.2017 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–11,48,030/–(अक्षरे ग्यारह लाख अडतालीस हजार तीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति मोहन नगर, रामनेर रोड, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर, (राजस्थान) के खसरा नं0 90, पर स्थित प्लॉट सं0 34, क्षैत्रफल 200 वर्ग यार्ड, नगर परिषद, किशनगढ, अजमेर द्वारा जारी पट्टा जिसका पंजीयन उप पंजीयक किशनगढ द्वारा दिनांक 20.12.2012 को बुक सं0 01, वॉल्यूम सं0 626, पृष्ठ सं0 46, क्र0 सं. 2012008498 पर पंजीयन किया गया था, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः–उत्तर मेंः–श्री धन्ना राम जी का प्लॉट, दक्षिणः–रास्ता 20 फीट का, पूर्व मेंः–प्लॉट नं0 35, पश्चिम मेः– श्री सुरेश जांगिड जी का प्लॉट नं0 33, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.01.2020 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner